

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुझुनू

दुरभाष एवम् फोन नम्बर - 01592 - 235475/235474 E-mail Id :- darc@jalin@gmail.com

कमाक - जिशिश/प्रार/बु/मान्यता/2012/858

दिनांक - 30.10.11

उपबन्धक

श्री श्री विद्या मन्दिर,
पिलानी

विषय - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपा नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

आपके दिनांक 23 फरवरी 2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चान्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मे 1/4/11 से दिनांक 31/3/11 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है -

- 1 मान्यता की मजदूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त मान्यता/संबन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर वर्गों और अन्तर्गत परत समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उनके निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कंपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती थाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि -
 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालकों शारीरिक टण्ड या मानसिक उन्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्ताता रास्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है धरन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिात करेगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगे।

(Signature)